दिनांक 05.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 05/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश के यातायात कर्मियों के सुरक्षार्थ गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा वितरण हेतु प्रदत्त 1000 हेल्मेट का वितरण कार्यक्रम

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांकः 05.07.2024 को पुलिस मुख्यालय में गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कम्पनी द्वारा प्रदेश के यातायात कर्मियों के सुरक्षार्थ उपलब्ध कराये जा रहे 1000 हेल्मेट के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जनपद सहारनपुर/थाना नांगल

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 50 हजार रूपये नगद**
- **लूटे गये सोने के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05.07.2024 को थाना नांगल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–डम्पी उर्फ हिमांशू 2–प्रिन्स 3–कँवरपाल उर्फ मामा 4–सत्यम 5–तरूण को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 50 हजार रूपये नगद, लूटे गये सोने के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.07.2024 को थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नांगल पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नांगल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–डम्पी उर्फ हिमांशू निवासी मोहल्ला बेरीपुरी थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

2–प्रिन्स निवासी मोहल्ला बेरीपुरी थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

3–कँवरपाल उर्फ मामा निवासी कस्बा व थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–सत्यम निवासी भगवती चक्कीवाली गली थाना ब्राम्हपुरी जनपद मेरठ।

5–तरूण निवासी रिठानी थाना परतापुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूटे गये 50 हजार रूपये नगद।

2–लूटे गये सोने के आभूषण।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस।

5–01 मोटर साइकिल।

जनपद हरदोई/थाना संडीला

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 55 हजार रूपये नगद**
- **लूट के 25 दूध के कैन, 01 पिकप वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.07.2024 को थाना संडीला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गोसवा से बारीवन माले रास्ते के पास जंगल से अभियुक्त 1–वीरेन्द्र 2–वसीम 3–सोनू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 4–आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 55 हजार रूपये नगद, लूट के 25 दूध के कैन, 01 पिकप वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.07.2024 को थाना संडीला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना संडीला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, कैन, पिकप वाहन आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना संडीला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वीरेन्द्र निवासी ग्राम गोवार थाना औरास जनपद उन्नाव।

2—वसीम निवासी तेदवारी थाना अतरौली जनपद हरदोई।

3—सोनू निवासी मो0मण्डई कस्बा व थाना सण्डीला जनपद हरदोई।

4—आरिफ निवासी दुगई थाना संडीला जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—लूट के 55 हजार रूपये नगद।

2—लूट के 25 दूध के कैन, 01 पिकप वाहन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद पीलीभीत/थाना पूरनपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 02 हजार 550 रूपये नगद**
- **चोरी के आभूषण, मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 05.07.2024 को थाना पूरनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मजार तिराहा पूरनपुर के पास से 02 अभियुक्तों 1—गुरदीप 2—राकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 02 हजार 550 रूपये नगद, चोरी के आभूषण, मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि 01/02.07.2024 की रात्रि थाना पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पूरनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुरदीप निवासी ग्राम चंदिया थाना हजारा जनपद पीलीभीत।

2—राकेश निवासी साहूकारा कस्बा व थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 02 हजार 550 रूपये नगद।

2—चोरी के आभूषण, मोबाइल फोन आदि।

जनपद मऊ/थाना दोहरीघाट

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 14 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 04.07.2024 को थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढावर रेलवे क्रासिंग के पास से 02 अभियुक्तों 1—शीतर 2—तनवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, चोरी के 14 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना दोहरीघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शीतर निवासी रेलवे कॉलोनी थाना सदर जनपद पूर्निया बिहार।

2—तनवीर निवासी रामगढ़ थाना ओरमाजी जनपद राँची झारखण्ड।

बरामदगी

1—लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—चोरी के 14 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 09 हजार 720 रूपये नगद**
- **लगभग 08 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण बरामद**

दिनांक 04.07.2024 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहीद पार्क चौराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1–अनुपम उर्फ पउवा 2–अंकित 3–हर्ष कुमार उर्फ जानू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 09 हजार 720 रूपये नगद, लगभग 08 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.06.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुपम उर्फ पउवा निवासी नगला केवल थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

2–अंकित निवासी नगला केवल थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

3–हर्ष कुमार उर्फ जानू निवासी नगला केवल थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

बरामदगी

1–चोरी के 09 हजार 720 रूपये नगद।

2–लगभग 08 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 04.07.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिन्धावली अण्डर पास के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–केशव उर्फ केशु घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अर्जुन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त केशव उर्फ केशु के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग व अभियुक्त अर्जुन के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आबकारी एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–केशव उर्फ केशु निवासी बचनसिंह कालोनी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

2–अर्जुन निवासी बचनसिंह कालोनी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 02 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **चोरी के माल बिक्री के 4100 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 04.07.2024 की रात्रि थाना रूपईडीहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीतापुरवा गाँव के पास से 02 अभियुक्तों 1—अब्दुल सलाम 2—विनोद कुमार उर्फ बिन्दा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, चोरी के माल बिक्री के 4100 रूपये नगद बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अब्दुल सलाम निवासी सीतापुरवा थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।

2—विनोद कुमार उर्फ बिन्दा निवासी गंगापुर जैतापुर थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2—चोरी के माल बिक्री के 4100 रूपये नगद।

जनपद भदोही/थाना गोपीगंज

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **72 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 05.07.2024 को थाना गोपीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रैपुरी ईट भट्ठा के पास चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—विवेक 2—भानू प्रताप 3—विवेक सिंह 4—विनय कुमार 5—अभिषेक उर्फ रिशु 6—शैलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 72 किलो 300

ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विवेक निवासी महामना पुरी कॉलोनी सुसवाही थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2—भानू प्रताप निवासी बीरमपुर थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।

3—विवेक सिंह निवासी बीरमपुर थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।

4—विनय कुमार निवासी उमरी गौरा थाना बादशाहपुर जनपद जौनपुर।

5—अभिषेक उर्फ रिशु निवासी सुल्तानपुर पट्टी जिया राय थाना सुरेरी जनपद जौनपुर।

6—शैलेश निवासी निवासी बीरमपुर थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1—72 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट।

3—घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना एक्सप्रेस वे

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 60 किलो अवैध गांजा आदि बरामद**

दिनॉक: 04.07.2024 को थाना एक्सप्रेस वे व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छपरौली गोल चक्कर से 03 अभियुक्तों 1—पंकज 2—विशाल 3—गोलू कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 60 किलो अवैध गांजा आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पंकज निवासी ग्राम गरजिया थाना रानीखेत जनपद अल्मोडा, उत्तराखण्ड हालपता–मेडिकल रोड प्रताप विहार थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

2–विशाल निवासी मढौरा थाना मढौरा जनपद छपरा, बिहार हालपता– मेडिकल रोड प्रताप विहार थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

3–गोलू कुमार निवासी मढौरा थाना मढौरा जनपद छपरा, बिहार हालपता– मेडिकल रोड प्रताप विहार थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 60 किलो अवैध गांजा आदि।

- **जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/394 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजेश को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना नवाबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अशोक कुमार उर्फ घुरे को 20 वर्ष के कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना विण्ढमगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना विण्ढमगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रीयांशु 2–मनीष को 10–10 वर्ष के कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत संदीप उर्फ गिल्लू को 07 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———

दिनांक 05.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 06/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अपराध नियन्त्रण, कानून–व्यवस्था, आगामी त्यौहारों एवं यातायात प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 05.07.2024 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ अपराध नियन्त्रण, कानून–व्यवस्था, आगामी त्यौहारों एवं यातायात प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये :–

- **आगामी त्यौहारों** यथा मोहर्रम/कावड़ यात्रा आदि के दृष्टिगत पीस कमेटी, शान्ति समितियों की गोष्ठी कर ली जाये, डिजिटल वालेन्टियर्स एवं सिविल डिफेन्स का सक्रिय सहयोग लिया जाये तथा धर्मगुरूओं, कार्यक्रम/जलूस के आयोजको, सभ्रान्त नागरिकों से निरन्तर संवाद बनाये रखा जाये।
- थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर को अध्यावधिक करते हुए पूर्व वर्षो के प्रवृष्टियों का अवलोकन कर संवेदनशील स्थानो को चिन्हित कर लिया जाये तथा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा ऐसे सभी स्थालो का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा किसी नयी परम्परा की अनुमति न दी जाये।
- डी0जे0 की अनुमति के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत नियमो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

- कावड़ यात्रा को सकुशल व निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु **पुलिस पिकेट, पुलिस गश्त, मोबाइल पेट्रोलिंग** करायी जाये, तथा विभिन्न मुख्य मार्गो के रूट डायवर्जन हेतु पर्याप्त **यातायात पुलिस कर्मियों** का व्यवस्थापन किया जाये, साथ ही साथ आवश्यकतानुसार **बैरीकेटिंग** की व्यवस्था करायी जाये, जिससे श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न उत्पन्न होने पाये।
- सभी अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन समय से कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निस्तारण कराया जाये तथा जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाये रखा जाये।
- **महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धी अपराधों** को अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुए संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए निर्धारित समयावधि में विवेचनाओ का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये तथा अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाये।
- जनपदो में गठित **एण्टी रोमियों** स्क्वॉड को और अधिक सक्रिय रखा जाये, अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु **प्रोएक्टिव पुलिसिंग** की जाये।
- **गोवध/गो–तस्करी** की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा उक्त घटना में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- इण्टर स्टेट एवं इण्टर नेशनल बार्डर पर गतिविधियों की निरन्तर निगरानी की जाये तथा बार्डर पर तैनात सुरक्षा बलो के साथ समन्वय बनाये रखा जाये।
- त्यौहार के दृष्टिगत शाम के समय राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग की जाये।
- **'ऑपरेशन दृष्टि'** के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों/चौराहों/तिराहों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन किया जाये तथा पूर्व में व्यवस्थापित सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड किया जाये।

- **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत पूर्व निर्गत निर्देशो के अनुसार प्रत्येक जनपद गम्भीर प्रवृत्ति के 20–20 अभियोगो को चिन्हित कर मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर अधिक से अधिक अभियोगो में अभियुक्तों को सजा दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ओ0आर0 कर गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधो की समीक्षा कर विवेचनाओ का निस्तारण कराया जाये साथ ही बीट कर्मचारियों के नियमित रूप से बीट बुक भी चेक किये जाये
- माफियाओं एवं संगठित अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- **सोशल मीडिया** के विभिन्न प्लेटफार्मो पर सर्तक दृष्टि रखते हुए मुख्यालय स्थित सोशन मीडिया सेन्टर से समन्वय बनाये रखा जाये तथा सोशल मीडिया पर रिस्पान्स टाइम और अधिक तेज किया जाये। भ्रामक/आपत्ति जनक पोस्ट, अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये अफवाहों का खण्डन कराया जाय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाये।